

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रायबरेली।

1- कार्य एवं कर्तव्य :- शासन द्वारा विभिन्न आमोदों के आयोजनागत/आयोजनेत्तर की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारी के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास के माध्यम से मार्जिन मनी/टर्मलो, रिक्ष/ छतरी, योजनाओं का सम्पादन किया जाता है।

2- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य :-

जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी	संख्या
कर्मचारी :- श्री यतेन्द्र कुमार, प्रभारी	1
श्री सुबोध कुमार, क०लि०	2
श्री नागेष्वर, चतुर्थ श्रेणी	3

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का प्रेषण बी०एस०ए०/जिला विद्यालय निरीक्षक के तत्वाधान के बाद छात्रवृत्ति का प्रेषण ग्राम निधि के खातों/बैंकों के खातों में किया जाता है। इसी प्रकार टर्मलोन एवं मार्जिन मनी, रिक्षा छतरी योजना के अन्तर्गत लाभाधियों का साक्षात्कार चयन समिति के आधार पर किया जाता है। ऋण वसूली का कार्य लिपिक द्वारा ऋण ग्रहताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करके धनराशि को वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित खाते में जमा किया जाता है। कार्यालय में डाक को यथा सम्बन्धित को प्राप्त कराने एवं लिपिक के साथ सामन्जस रखकर कार्यालय को समयानुसार खोलने एवं बन्द करने का कार्य किया जाता है।

3.4- निर्णय लिये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया कार्य माप दण्ड एवं जिम्मेदारी :-

विभागीय कार्यों में मुख्यतः पूर्ण जिम्मेदारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की होती है। डी०आई०ओ०एस०/बी०एस०ए० के द्वारा प्राप्त मॉग पत्र का पुनः सत्यापन करके अधिकारी द्वारा स्कूल/कालेजों छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि कोई स्कूल/कालेजों छात्रवृत्ति में अनियमितता करता है तो उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० तथा मान्यता समाप्त कर सकता है। तत्पश्चात् वह अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर सकता है।

5- कर्मचारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन हेतु नियमावली, अधिनियम के सम्बन्ध में:-

विभाग द्वारा विभिन्न आमोदों जैसे छात्रवृत्ति एवं टर्मलोन योजना की वसूली हेतु निम्नलिखित नियमावली/अधिनियम का प्रयोग किया जाता है।

1. उत्तर प्रदेश नियमावली 1989
2. उत्तर प्रदेश नियमावली 1991
3. उत्तर प्रदेश नियमावली 1996

6- विभाग का जनपद स्तर पर अभिलेखों का रख-रखाव का विवरण :-

1. प्रस्तर 5 में वर्णित नियमावली/अधिनियम के अतिरिक्त समस्त शासनादेश व सरकुलर।
2. सभी पात्र लाभाधियों की पत्रावली ऋण जमा करने सम्बन्धी।
3. कार्यालय व्यय व स्टाक रजिस्टर, उपस्थित पंजिका व षिकायत पंजिका।
4. 11 सी द्वारा समस्त चेकों का लेखा जोखा।

7- बिन्दु संख्या 7 विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

8- समिति का गठन व कार्य :-

निर्देशक पिछड़ा वर्ग कल्याण के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऋण एवं टर्मलोन की प्रक्रिया प्रबन्धन निर्देशक पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा चयन समिति का गठन किया जाता है। उनके नाम क्रमशः :-
छात्रवृत्ति :-

जिला विद्यालय निरीक्षक।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
प्रधानाचार्य/ग्राम प्रधान।
जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी।
कनिष्ठ लिपिक।

टर्मलोन योजना के अर्न्तगत :-

जिला प्रबन्धक पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।
समाज कल्याण अधिकारी।
जिला विकास अधिकारी।
लीड बैंक अध्यक्ष।
पूर्व जिलाध्यक्ष भा०ज०पा०।

उपर्युक्त के क्रम में चयनसमिति रायबरेली के माध्यम से योजनाओं का संचालन किा जाता है।

9- विभागीय अधिकारी/कर्मचारी का विवरण :-

परिष्ट 2 में विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का उल्लेख किया गया है।

10- मासिक वेतन आदि का विस्तृत विवरण :-

क्र० सं०	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	वेतन	मा० भत्ता	अन्य भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	श्री यतेन्द्र कुमार प्रभारी				
2	श्री सुबोध कुमार मौर्य	3050	1327.00	1525	6102.00
3	नागेश्वर	2605	1133.00	1303	4701.00

11- वर्ष 2005-06 हेतु बजट :-

- वेतन रू० 1,70,000.00
- म० भत्ता रू० 35,000.00
- अन्य भत्ता रू० 5,000.00
- कार्यालय व्यय रू० 10,000.00
- लेखन सामग्री रू० 6,000.00
- यात्रा भत्ता रू० 5,000.00
- कार्यालय फर्नीचर -

महायोग - 2,31,000.00

छात्रवृत्ति में स्वीकृत बजट

- कक्षा (1-5) :- रू० 2,93,55,700.00
कक्षा (6-8) :- रू० 1,00,13,300.00
कक्षा (9-10) :- रू० 69,57,000.00
कक्षा दशमोत्तर रू० 93,10,000.00
अनावर्ती :- रू० 15,000.00
महायोग :- रू० 5,56,51,000.00

12- सम्बन्धित सूचनाएं कार्यालय से 10 ए०एम० से 5 पी०एम० तक।

13- जनसूचना अधिकारी का नाम व पदनाम :-

जनपद स्तर पर श्री यतेन्द्र कुमार प्रभारी जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी रायबरेली को नियुक्ति किया जाता है तथा श्री सुबोध कुमार मौर्य (कनिष्ठ लिपिक) को सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।